

U.P.S.C.

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में रुढ़वाद के बिना स्वस्थ स्वशासी संस्थानों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्थानीय निकायों की स्थापना की गयी है जो भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को निर्धारित करती है। स्थानीय निकायों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सकारण रूप है।

स्थानीय निकायों को 243 सूच पंचायतों को करारोपण की शक्ति देती है जो निम्न प्रकार है -

- * सम्पत्तिका,
- * मार्गिका
- * चुगी इत्यादि हैं तथा स्थानीय निकायों को उपयुक्त के अलावा अन्य साधनों के माध्यम से वित्त प्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार हैं।

(i) राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान

(ii) राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुल करो रूप रकम में शुल्कों का राज्य और पंचायतों में बंटवारा।

(iii) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, इत्यादि प्रावधानों के बावजूद स्थानीय

निकायों की स्वायत्तता तथा अपने ऊपर निर्भर संस्थाओं की कार्यक्षमता उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है और

उनके अपने संसाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है

किन्तु स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वशासकीय कानून पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और यह अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर है इनके बारे में हमें निम्न निष्कर्ष निष्कात निकाल सकते हैं। -

(i) पंचायत या स्थानीय निकाय संसाधन जुटाने में कमजोर

- (1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों का परा अल्पधिक निर्भर है।
- (ii) स्थानीय निकायों को प्राप्त अनुदानों का बहुतांश विशेष योजना पर केन्द्रित है जो उनके व्यय मामलों में सीमित अधिकार देती है।
- (iii) राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकारों को पंचायतों को वित्त आवंटित करने में अमिच्छा होती है।
- (iv) स्थानीय निकायों को प्राप्त करारोपण की शक्ति बहुत ही कम पंचायतों पर लगाने तथा वसूलने में करती है तथा यह तर्क पेश करती है कि जब भाव खुद लोगों के मध्य रह रहे हों तो उनसे का वसूलना कठिन है।
- इस प्रकार स्थानीय निकायों पर जिम्मेदारी बहुत है पर संसाधन कम।

अतः आवश्यक है कि स्थानीय निकायों को स्वायत्त तथा सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता को सुबारा जाए एवं उनके प्राप्त शक्तियाँ (करारोपण) को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तथा केन्द्र और राज्य प्राप्त अनुदानों की सीमा के माध्यम से और लाभकारी बनाया जाए क्योंकि केवल कर्तारिक तमिलनाडु जैसे राज्य जो स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण में अग्रणी हैं वहाँ भी स्थानीय निकाय सरकारी अनुदानों पर ही निर्भर हैं।